

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

प्रभारी अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांक :- 10.03.2023


मु0न0-15/2023

-: आदेश :-

प्रार्थी/अधिवक्ता व खाता दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र, पटवारी हल्का लूणा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार मलसीसर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण ग्राम खरखड़ी पटवार हल्का लूणा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 53 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

क. स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	लूणा	53	भादरदान पुत्र गोविन्ददान	बहादुरसिंह पुत्र गोविन्ददान

नोट:- खाते के शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे।


(हवाई सिंह यादव) 10/3/23
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

दिनांक :- 10.03.2023

क्रमांक:- सम/2023/

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार मलसीसर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवायी जानी सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी बहादुरसिंह पुत्र पुत्र गोविन्ददान निवासी खरखड़ी को सूचनार्थ।
3. आदेश रक्षित पत्रावली।

||
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर